"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 214] रायपुर, बुधवार, दिनांक 12 जून 2019 — ज्येष्ठ 22, शक 1941

गृह (पुलिस) विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, रायपुर

अटल नगर, दिनांक 20 मई 2019

अधिसूचना

क्रमांक एफ 3–87/2011/गृह–दो.– दण्ड प्रकिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 357ए द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना–2011 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात्:–

संशोधन

उक्त योजना की अनुसूची में,–

1. खण्ड 5 में, उप–खण्ड (1) के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्:–

   "(क) अंतरिम राहत–भीड़ जनित हिंसा के पीड़ित को अंतरिम राहत हेतु क्षतिपूर्ति खण्ड 5 के अंतर्गत जांच के पश्चात् घटना की तारीख से 30 दिवस के भीतर भुगतान की जायेगी, जो अनुसूची–अ के अनुसार देय क्षतिपूर्ति के 25 प्रतिशत के बराबर होगी।"

2. खण्ड 5 में, उप–खण्ड (5) के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्:–

   "(क) भीड़ जनित हिंसा के पीड़ित अथवा उसके आश्रितो को दी जाने वाली क्षतिपूर्ति अनुसूची–अ के अनुसार देय होगी।"

3. अनुसूची में, सरल क्रमांक 4 एवं 5 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाये।

4. अनुसूची के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्:–

"अनुसूची–अ

स.क्र.	क्षति या चोट का विवरण	क्षतिपूर्ति की अधिकतम सीमा
1.	भीड़ जनित हिंसा की घटना के कारण जीवन की क्षति	3.00 लाख
2.	भीड़ जनित हिंसा की घटना के कारण स्थायी दिव्यांगता (80 प्रतिशत या उससे अधिक)	2.00 लाख
3.	भीड़ जनित हिंसा की घटना के कारण आंशिक दिव्यांगता (40 प्रतिशत से 80 प्रतिशत)	1.00 लाख
4.	भीड़ जनित हिंसा की घटना के कारण दिव्यांगता (40 प्रतिशत से कम)	50 हजार
5.	भीड़ जनित हिंसा की घटना के कारण मानसिक पीड़ा	25 हजार
6.	भीड़ जनित हिंसा की घटना द्वारा प्रभावित पीड़ित का पुनर्वास	1.00 लाख
7.	भीड़ जनित हिंसा की घटना के कारण शैक्षणिक अवसरों की क्षति	50 हजार
8.	भीड़ जनित हिंसा की घटना के कारण जीविकोपार्जन के साधनों की क्षति	मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार वास्तविक राहत राशि
9.	भीड़ जनित हिंसा की घटना के कारण रोजगार के अवसरों की क्षति	मोटरयान दुर्घटना दावा प्रकरण के अनुसार संगणित वास्तविक राहत राशि

टीप–(1) यदि भीड़ जनित हिंसा की घटना में किसी अवयस्क को किसी प्रकार की क्षति होती है, तो इस योजना के अधीन 50 प्रतिशत अतिरिक्त राहत प्रदान की जायेगी।

(2) यदि पीड़ित/आश्रित, अनुसूची–अ में वर्णित शीर्ष में एक से अधिक के अधीन क्षतिपूर्ति प्राप्त करने हेतु पात्रता रखता है, तो प्रदान की जाने वाली राहत राशि ऐसे शीर्षों के अन्तर्गत राशि के कुल योग के बराबर होगी।

(3) शासन द्वारा पीड़ित/पीड़ितों के आश्रितों को उपचार का वास्तविक मूल्य अथवा निःशुल्क उपचार प्रदान किया जायेगा।

(4) भीड़ जनित हिंसा की घटना के पीड़ितों को विधिक उपचार उपलब्ध करायी जायेगी।"

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
लीना कमलेश मंडावी, उप–सचिव.

Atal Nagar, the 20th May 2019

NOTIFICATION

No.F 3-87/2011/Home-2.– In exercise of the powers conferred by Section 357-A of the Code of Criminal Procedure, 1973 (No. 2 of 1974), the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following further amendment in the Victim Compensation Scheme-2011,namely :-

AMENDMENT

In Schedule of the said scheme,–

1. In clause 5, after sub-clause (1), the following shall be added, namely:-

"(a) Interim relief- the compensation for interim relief to a victim of mob lynching, shall be paid upon enquiry under clause 5 within 30 days from the date of incident which shall be equal to 25% of the compensation payable as per Schedule- A."

2. In clause 5, after sub-clause (5), the following shall be added, namely:-

"(a) The compensation to be paid to the victim of mob lynching or to its dependents shall be payable according to Schedule- A."

3. In Schedule, serial number 4 and 5 and entries relating thereto shall be omitted.

4. After Schedule, the following shall be added, namely:-

"SCHEDULE-A

S.No.	Description of loss or injury	Maximum limit of Compensation
1.	Loss of life due to the incident of mob lynching	3.00 lakhs
2.	Permanent disability due to incident of mob lynching (80% or above)	2.00 lakhs
3.	Partial disability due to incident of mob lynching (40% to 80%)	1.00 lakhs
4.	Disability due to incident of mob-lynching (below 40%)	50 thousand
5.	Mental trauma due to incident of mob lynching	25 thousand
6.	Rehabilitation of the victim affected by incident of mob lynching	1.00 lakh
7.	Loss of educational opportunities due to incident of mob lynching	50 thousand
8.	Loss of earning due to incident of mob lynching	Actual relief amount as per assessment report
9.	Loss of job opportunities due to incident of mob lynching	Actual relief amount to be calculated in accordance with the Motor Vehicle Accident Claim Cases

Note- (1) If any kind of loss is suffered by a minor in the incident of mob lynching, then 50% additional relief will be given under this scheme.

(2) If victim/dependents are eligible for compensation under more than on head in Schedule- A then the relief amount granted shall be equal to the sum total of amount under such heads.

(3) The actual cost of treatment or free treatment shall be given to the victim /dependents of the victims by the Government.

(4) Legal Aid shall be provided to the victim of the incident of mob lynching.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
LEENA KAMLESH MANDAVI, Deputy Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय,नया रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2019.